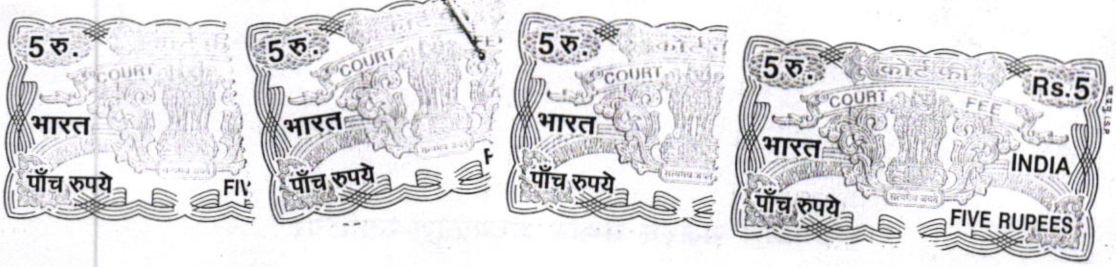

(209)

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3811 निगरानी प्रकरण कमांक ..../2017

देवीराम विश्वकर्मा आयु लगभग 50 वर्ष

आ0 स्व0 छोटेराम विश्वकर्मा, निवासी–ग्राम

जमुनिया कला, तहसील हुजूर जिला भोपाल ——— निगरानीकर्ता

विरूद्व

कुसुम तिवारी पुत्री एस.आर. तिवारी

आयु वयस्क, निवासी–म.नं. 70, लाला लाजपतराय

कालोनी, रायसेन रोड, भोपाल म.प्र. ——— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–2 द्वारा धारा 250 का प्रकरण कमांक 19/अ–70/2014–15 पक्षकार कुसुम तिवारी विरूद्व देवीराम में पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 से परिवेदित होकर निम्न वैधानिक आधारो एवं तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

28/9/17 प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3811

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2018	आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के प्रकरण में राजस्व मण्डल में सीमांकन के विरूद्ध निगरानी लम्बित होने से स्थगन मांगा गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26-9-17 को निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 3194-पीबीआर/15 में दिनांक 28-3-2018 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की जा चुकी है । अत: अब यह निगरानी निरर्थक होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	